अभियान

वर्मा आयोग के सुझाव

महिलाओं के प्रति *बढ़ते यौन अपराधों और आपराधिक क़ानून में संशोधन की मांग के चलते सरकार ने 23 दिसम्बर 2012 वर्मा आयोग का गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख न्यायाधीश जे.एस वर्मा ने की। आयोग के अन्य दो सदस्य थे– अवकाश प्राप्त न्यायाधीश लीला सेठ और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमणियम। समस्त देश से लगभग सत्तर हज़ार सुझावों, नागरिक समूहों, कार्यकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ विचार विमर्श के बाद समिति ने निम्न प्रमुख प्रस्ताव सरकार के सामने रखे:*

1. बलात्कार की सज़ा: फांसी की सज़ा को नामंजूर करते हुए आयोग ने बलात्कार के लिए सात साल कैद, महिला की मौत अथवा मरणासन्न अवस्था पाए जाने पर बीस वर्ष या आजीवन कारावास की सज़ा (आजीवन के मायने अपराधी के समूचे जीवन काल से है), सामूहिक बलात्कार के लिए बीस वर्ष की कठोर सज़ा और मौत हो जाने पर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रस्ताव रखा। अपराध की संगीनता को ध्यान में रखते हुए बीस वर्ष की सज़ा किसी भी मामले में आजीवन कारावास में तब्दील की जा सकती है।

2. अन्य यौन अपराधों की सज़ा: आयोग ने हर प्रकार के यौन अपराधों की रोकथाम की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए प्रस्ताव रखा— दर्शनरति (व्वॉयरिज़्म) के लिए सात वर्ष जेल की सज़ा, स्टॉकिंग और लगातार सम्पर्क साधने के प्रयास में कम से कम तीन वर्ष; तेज़ाबी हमले के लिए सात वर्ष व यौन कर्म के लिए अवैध मानव तस्करी के लिए सात से दस वर्ष की कठोर सज़ा।

3. शिकायत दर्ज कराना और चिकित्सीय परीक्षण: बलात्कार का हर मामला पुलिस थाने में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर कोई अफ़सर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करता या जांच–पड़ताल में रोक लगाता है तो उसे इस अपराध की सज़ा दी जाएगी। बलात्कार के बाद चिकित्सीय परीक्षण के नियमों का भी उल्लेख किया गया है। नागरिक समाज से अनुरोध है कि बलात्कार का हर मामला थाने में दर्ज कराने में मदद करें। आयोग के विचार में "नयाचार आधारित व्यावसायिक चिकित्सीय परीक्षण" एक समान व्यवहार और कार्यान्वयन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

4. विवाह पंजीकरण: भारत में होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण (चाहे किसी भी धार्मिक क़ानून के तहत किए हो) मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित कर कि विवाह दोनों पक्षों की पूरी व स्वायत्त सहमति के साथ, बिना दहेज किया गया है।

5. जुर्म संहिता प्रक्रिया में संशोधन: मौजूदा आपराधिक क़ानून संशोधन अधिनियम 2012 में सुधार का प्रस्ताव रखते हुए आयोग ने कहा, 'चूंकि पुरुषों पर यौन हमले तथा समलैंगिकों, विपरीतलिंगी व पारलिंगी व्यक्तियों के साथ बलात्कार एक वास्तविकता है लिहाज़ा क़ानूनी प्रावधान इसके प्रज्ञाता होने चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को बलात्कार से सुरक्षित रखने व उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं एक "तात्कालिक" ज़रूरत है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि औरतों के अधिकारों को स्वीकार करने का तरीका यही है कि उनकी न्याय तक पूरी पहुंच रहे और न्याय उनके हितों को ध्यान में रखे।

6. महिला अधिकार विधेयक महिलाओं के लिए एक अलग अधिकार विधेयक जो उन्हें एक गरिमा व सुरक्षा की ज़िंदगी के साथ संबंधों में यौन स्वायत्तता का हक़ भी सुनिश्चित करे।

7. "अफसपा" का पुनरीक्षण: आयोग का मत है कि "अफसपा" अधिनियम संरचात्मक (सैन्य बल विशेष अधिकारी अधिनियम) यौन हिंसा को दण्ड मुक्ति को वैधता प्रदान करता है। जिन क्षेत्रों में यह क़ानून लागू है वहां इसका पुनरीक्षण करने की ख़ास ज़रूरत है। आयोग का यह भी सुझाव है कि संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

8. पुलिस सुधारः जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट काबलियत और चरित्र के लिए प्रतिष्ठित पुलिस अफ़सरों को पुलिस दल में वरिष्ठ ओहदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सभी मौजूदा नियुक्तियों का पुनरीक्षण "नैतिक दृष्टिकोण" के आधार पर किया जाना चाहिए। आयोग ने हिदायत दी है कि क़ानून कार्यान्वयन निकाय राजनैतिक आकाओं के हाथ की कठपुतली बनकर न रह जाए। पुलिस सेवा के हर सदस्य को यह समझना होगा कि अपनी ड्यूटी निभाते समय उनकी जवाबदेही सिर्फ़ क़ानून के प्रति है, किसी व्यक्ति या संस्था के प्रति नहीं।

9. न्यायपालिका की भूमिकाः न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है संवैधानिक प्रतिकार के माध्यम से बुनियादी अधिकारों का कार्यान्वयन। न्यायपालिका इनसे जुड़े मुद्दों को उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दोनों स्तर पर उठा सकती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय कार्यनीति लागू करना अच्छा रहेगा। न्यायिक पक्ष की ओर से उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रमुख न्यायाधीश से अपील की जा सकती है। प्रमुख न्यायाधीश लापता बच्चों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने का हक़ रखते हैं।

10. राजनैतिक सुधारः राजनीति के आपराधीकरण से निपटने के लिए आयोग ने कुछ सुधार प्रस्तावित किए। आयोग ने उल्लेख किया है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी अपराध के प्रज्ञाता हैं तो उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया से वंचित किया जाना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार अपने ख़िलाफ़ आरोपों का खुलासा नहीं करता तो उसे भी अयोग्य करार दिया जाएगा। आयोग का यह भी सुझाव था कि आरोपी सांसद, विधायक व मंत्री तथा अन्य क़ानून बनाने वालों को स्वेच्छा से इस्तिफ़ा देकर अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए।